

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

प्राधिकारसे प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] दिल्ली, जनवरी 20—जनवरी 26, 2017, बृहस्पतिवार/पौष 30—माघ 6, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 322, 326, 327  
 No. 1] DELHI, JANUARY 20—JANUARY 26, 2017, THURSDAY/PAUSA 30—MAGHA 6, 1938 [N.C.T.D. No. 322, 326, 327

भाग—IV

PART—IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

सं. फा. डीएचई. 18(6)एस.एफ.आर.सी./2016-17/206.—दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान (प्रति व्यक्ति शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, शोषण सहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 की धारा 6 उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों को करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए, और अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित नियामक समिति का गठन करती है, अर्थात् :-

राज्य शुल्क नियामक समिति

- |             |   |
|-------------|---|
| (क) अध्यक्ष | श्री रमेश नारायणास्वामी, भा. प्र. से. (सेवानिवृत्त) निवर्तमान मुख्य सचिव,<br>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार । |
| (ख) सदस्य   | श्री बृजेन्द्र सिंह जैन, प्रख्यात चार्टर्ड लेखाकार (अध्यक्ष द्वारा नामांकित)।   |
| (ग) सदस्य   | प्रो. राजीव कुमार, सलाहकार-1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ।  |
| (घ) सदस्य   | गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति या उनका प्रतिनिधि ।  |
| (ङ) सदस्य   | सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) ।  |
| (च) सदस्य   | सचिव, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) ।   |

(छ) सदस्य सचिव (पदेन) सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग)।

समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक रहेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
ए. अंबरसु, सचिव (उच्च शिक्षा)

**DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**  
**NOTIFICATION**  
Delhi, the 17th January, 2017

**F.N. DHE 18 (6)/ SFRC/2016-17/206.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following Regulatory Committee for the purpose of determining fee for pursuing courses, in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the Act, namely:-

**State Fee Regulatory Committee**

(i)	Chairperson	Sh. Ramesh Narayanaswami, IAS (Retd.) Ex- Chief Secretary, GNCT of Delhi.
(ii)	Member	Sh. Brijendra Singh Jain, Chartered Accountant (nominated by Chairperson)
(iii)	Member	Prof. Rajive Kumar Advisor-I, AICTE, as Representative of All India Council of Technical Education.
(iv)	Member	Vice-Chancellor of GGSIP University or his representative
(v)	Member	Secretary (Training and Technical Education)
(vi)	Member	Secretary (Health and Family Welfare).
(vii)	Member Secretary	Secretary (Higher Education). (ex-officio)

The term of above Committee shall be three years commencing from the date following this notification and the term of Chairperson and members shall be co-terminus with the term of the Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi.

A. ANBARASU, Secy. (Higher Education)

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] दिल्ली, जुलाई 21—जुलाई 27, 2017, बृहस्पतिवार/आषाढ 30—श्रावण 5, 1939 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 179  
No. 12] DELHI, JULY 21—JULY 27, 2017, THURSDAY/ASADHA 30—SRAVANA 5, 1939 [N.C.T.D. No. 179

भाग—IV

PART—IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सं. फा. डीएचई. 18(6)/एस.एफ.आर.सी./2016-17/3370-3382.—इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना संख्या सं. फा. डीएचई.18(6)एस.एफ.आर.सी./2016-17/206-217 दिनांक 17.01.2017 की निरंतरता में, दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (प्रति व्यक्ति शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उपधारा (i) के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिए, शुल्क निर्धारित करने हेतु, और अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है :-

1. सदस्य - निदेशक (प्रो.) एनेस्थीसिया, जी.बी. पंत अस्पताल

उपरोक्त नामांकन की अवधि अधिसूचना जारी होने से तीन साल तक रहेगी और इनका कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
गरिमा गुप्ता, विशेष सचिव (शिक्षा)

**DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION****NOTIFICATION**

Delhi, the 26th July, 2017

**F.No. DHE 18 (6)/ SFRC/2016-17/3370-3382.**—In continuation of this Department's earlier Notification F. No. DHE 18 (6)/SFRC/2016-17/206-217 dated 17/01/2017, in exercise of the powers conferred by clause (viii) Sub-Section (1) of Section 6 of the Delhi Professional College or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007, the Government of National Capital Territory of Delhi, appoints following member for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital territory of Delhi and to perform the functions assigned under the Act:—

- (i) Member - Director (Prof.) Anaesthesia, G. B. Pant Hospital

The term of above members shall be three years commencing from the date of this notification and their term shall be co-terminus with the term of the Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi .

GARIMA GUPTA, Special Secy. (Education)

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] दिल्ली, अक्टूबर 27—नवम्बर 2, 2017, वृहस्पतिवार/कार्तिक 5—कार्तिक 11, 1939 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 300  
No. 18] DELHI, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2017, THURSDAY/KARTIKA 5—KARTIKA 11, 1939 [N.C.T.D. No. 300

भाग—IV  
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2017

फा. सं. डीएचई 18(6)एस.एफ.आर.सी./2016-17/3463-3475.—इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना संख्या फा. डीएचई 18(6)एस.एफ.आर.सी./2016-17/206-217 दिनांक 17.01.2017 की निरंतरता में, दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (प्रति द्यवित शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उपधारा (i) के खंड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिए, शुल्क निर्धारित करने हेतु, और अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं :-

(1) सदस्य - निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय

उपरोक्त नामांकन की अवधि अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन साल तक रहेगी और इनका कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
गरिमा गुप्ता, विशेष सचिव (शिक्षा)

**DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th October, 2017

**No. F. DHE 18(6)/SFRC/2016-17/3463-3475.**—In continuation of this Departments earlier Notification F.No. DHE 18(6)/SFRC/2016-17/206-217 dated 17/01/2017 in exercise of the powers conferred by clause (viii) Sub section (1) of Section 6 of the Delhi Professional College or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007, the Government of National Capital Territory of Delhi, appoints following member for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned under the Act.

(i) Member - Director, Directorate of Higher Education

The term of above members shall be three years commencing from the date of this notification and their term shall be co-terminus with the term of the Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

GARIMA GUPTA, Special Secy. (Education)